वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2010

आय-कर

का.आ. 1210(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80झक की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक पार्क (संशोधन) स्कीम, 2010 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 के पैरा 4 के खंड (1) में, "2009" अंकों के स्थान पर , "2011" अंक रखे जाएंगे।

3. औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में प्ररूप आईपीएस-1 में, पैरा 3.6 के खंड (क) में, "2009" अंकों के स्थान पर, "2011" अंक रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 37/2010/फा. सं. 149/52/2010-एसओ(टीपीएल)]

विमल आनंद, अवर सचिव (टीपीएल-II)

टिप्पण :—मूल स्कीम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 51(अ), तारीख 8 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2813(अ), तारीख 28 नवम्बर, 2008 द्वारा किया गया था।